न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1568/2025
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–340/2024

1. रेखा देवी उम्र लगभग 25 वर्ष पिता– राजेन्द्र मुखिया
2. उमा देवी उम्र लगभग 22 वर्ष पिता– राजेन्द्र मुखिया
3. अनेखा देवी उम्र लगभग 45 वर्ष पति– राजेन्द्र मुखिया
4. राजेन्द्र मुखिया उम्र लगभग 25 वर्ष पिता– स्व0 सहदेव मुखिया

सभी साकिन– जजहट सबैला, वार्ड नं0– 11 थाना– सिंहेश्वर जिला– मधेपुरा

–आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

02–04–2026

आवेदकगण 1. रेखा देवी 2. उमा देवी 3. अनेखा देवी 4. राजेन्द्र मुखिया का अग्रिम जमानत आवेदन जो सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–340/2024 अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 118(1), 352, 351(1), 3(5)बी0 एन0 एस0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता सूर्य कुमार सिन्हा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा ऐसा कोई अपराध कारित घटना नही किये है। आवेदकगण को ग्रामीण राजनीति एवं संदेह के तहत झूठे मामले मे फंसाया गया है। तथाकथित मामले मे धारा–109, 118(1) के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध नही बनता है। आवेदको के प्राथमिकी मे जान से मारने का कोई इरादा या प्रयास नही था, आवेदकों के खिलाफ झूठे एवं मनगढ़त तरीके से फंसा दिया गया है। आवेदको के विरूद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नही है। आवेदको के खिलाफ जमानत याचिका मे दोनों पक्षों मे समझौता हो गयी है। आवेदकगण का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है। आवेदकगण दया की पात्र है जिसके फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतोषप्रद निजी बंध पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
02.04.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मधेपुरा

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 29.08.24 रात्री के करीब 11:00 बजे सूचक एवं सपरिवार अपने घर मे सो रहे थे जहाँ सूचक के लड़के (जयकृष्ण कुमार) बगल के कमरे मे सो रहे थे, वहाँ के घर मे किवाड़ भी नही था। अचानक घर मे चोरी करने के नियत से जयेन्द्र कुमार अपने हाथ मे छुरा लिये सूचक के लड़के जयकृष्ण कुमार के कमरे मे घुस गये जहाँ पर वह सो रहे थे तब सूचक के लड़के के बिस्तर पर रखे मोबाईल चोरी करने लगे। उसी बीच सूचक के लड़के की आँखें खुल गयी तो देखा कि धर्मेन्द्र कुमार मेरा मोबाईल लिये हुये है उसके बाद अपना मोबाईल छिनने का प्रयास किया और दोनो के बीच हाथापाही करने लगे, तब मौका पाते ही धर्मेन्द्र कुमार ने सूचक के लड़के को पेट मे छुरा मार दिया। जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गये, वहाँ से धर्मेन्द्र कुमार भागकर अपने घर चले गये फिर कुछ ही समय बाद धर्मेन्द्र कुमार ने अपने साथ रेखा देवी, अनेखा देवी, उमा देवी, एवं अन्य अभियुक्तो को लेकर सूचक के दरवाजे पर आये और सभी अभियुक्तों ने मिलकर गाली–गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1568/2025
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–340/2024

लगातार
02–04–26

–हमलोग ग्रामीणों के सहयोग से धर्मेन्द्र कुमार को पकड़ लिये इसी बीच गुस्से मे आकर राजेन्द्र मुखिया भी सूचक के यहाँ आये तब वह भी सूचक को गाली–गलौज करने लगे और सूचक को जान से मारने की धमकी देने लगे, तब वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिलते ही धर्मेन्द्र कुमार को गिरफतार कर लिया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–115(2), 126(2), 109, 118(1), 352, 351(1), 3(5)बी0 एन0 एस0 से संबंधित है, के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदकों के विरूद्ध सूचक के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने का सामान्य अभियोग है। जख्मी जयकृष्ण कुमार को छुरा मारने का अभियोग आवेदको पर नहीं है बल्कि अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पर है। धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध वाद किशोर न्यायालय मधेपुरा द्वारा निष्पादित किया जा चुका है। आज जख्मी जयकृष्ण कुमार की हाजिरी दी गई है तथा न्यायालय मे उपस्थित होकर उसके द्वारा बताया गया है कि आपसी समझौता के आधार पर मेल–मिलाप हो चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण द्वारा मो. 20,000/– रू. के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी अथवा आत्म–समर्पण की स्थिति में धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. का अंडर टेकिंग न्यायालय के संतुष्टि के आलोक में बंध–पत्र दाखिल करेंगे तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित

Satish Kumar
02.04.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।